न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1750–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–08–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–39/अपील/2000–01

.....

छेदीलाल तनय सुखइया कोल

निवासी–ग्राम एवं पोष्ट भेड़, तहसील मैहर

जिला–सतना(म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

गिरिजा कोल तनय किसना कोल(मृतक) वारिसान–

1– बल्वा

2– ललुआ

3– छुटअन

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री मुकेश बेलापुकर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-08-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 29–08–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम भेड़ा की आराजी नं0 1729/1 रकबा 1.317 है0 एवं 174 रकबा 1.170 है0 कुल रकबा 2.487 है0 के बटवारा/नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के पश्चात उभयपक्षों की आपसी सहमति पर दिनांक 18.05.98 को आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मैहर के समक्ष दिनांक 05.06.2000 को अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17.10.2000 से अपील स्वीकार करते हुये, तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 18.05.98 निरस्त किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसमें अपर आयुक्त रीवा ने दिनांक 29.08.2001 से अनुविभागीय अधिकारी मैहर का आदेश दिनांक 17.10.2000 निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक गिरजा कोल द्वारा बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने प्रकरण में विधिवत इश्तहार जारी किया है। आवेदक प्रकरण में उपस्थित रहे है, जहॉ उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। तहसील न्यायालय में पृष्ठ क्रमांक 11 पर आवेदक की ओर से सहमति आवेदन पेश किया गया है, जिसमें अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दावे 1 लगायत 6 बिन्दुओ को स्वीकार किया जाकर नामांतरण बटवारा में सहमति व्यक्त की है। इसके पश्चात् नायब तहसीलदार ने उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् दिनांक 18.05.98 को आदेश पारित कर नामांतरण बटवारा स्वीकार किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया । आवेदक को विचारण न्यायालय में विधिवत सूचना दी थी और वे प्रकरण में

उपस्थित रहे फिर भी उनके द्वारा समय बाधित अपील प्रस्तुत की। फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने समयबाधित अपील के गुण—दोष पर स्वीकार करने में त्रुटी की है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने अपने आदेश में आवेदक को विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उस्थित होने हेतु इश्तहार जारी होने के पश्चात सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित होने का उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जानकारी नहीं होना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा सुनवाई योग्य नहीं माना है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक विचारण न्यायालय में उपस्थित रहे और सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। अतः उसे आदेश की जानकारी थी। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर दर्शित परिस्थिति को देखते हुये अपर आयुक्त का आदेश 29.08.2001 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,